राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2244/2025

आशिष खेराल

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री जे.आर. चौधरी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सफाई कर्मचारी के पद पर नगर परिषद कैकडी, जिला अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण नगर परिषद, ब्यावर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक नगर परिषद से दूसरी नगर परिषद में किया गया है, जो अन्य जिले में किया गया है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण से अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होगी। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी पत्नी गर्भावस्था में है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता राजस्थान नगर पालिका नियमों के अनुसार पूर्व के स्थान पर ही निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसे में स्थानान्तरण से अपीलार्थी की वरिष्ठता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष